
अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3

बजटीय प्रबंधन

परिचय

यह अध्याय बजटीय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा करता है और पूरक अनुदान एवं सहगामी वित्तीय प्रबंधन सहित आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करता है कि नीतिगत स्तर पर लिया गया निर्णय निधि के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है। यह विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और अनुदान के अनुसार विनियोगों का विवरण तथा आवंटित संसाधनों का सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करता है।

3.1 बजटीय प्रक्रिया


बजट का वार्षिक अभ्यास सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश का विवरण देने का एक साधन है। सामान्यतः बजट प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी करने के साथ (सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त-सितम्बर में) शुरू होती है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष हेतु बजट अनुमान तैयार करने में सभी विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश शामिल होता है। इसमें बजट अनुमान तैयार करने में एकरूपता हेतु नमूना प्रारूप भी शामिल रहता है। राज्य के बजट निर्माण प्रक्रिया को नीचे चित्र में दर्शाया गया है:



विधायी प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा सभी व्यय वहन करने के लिए अनिवार्य शर्त है। अलग-अलग सरकारी विभागों का मार्गदर्शन करने के लिए, राज्य सरकार ने वित्तीय नियम बनाए हैं और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए प्रावधान किया है जो व्यय की सीमा निर्धारित करते हैं और विनियोग और पुनर्विनियोग पर प्रतिबंध के साथ ऐसे व्यय को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत स्तर हैं।

पूरक अनुदानों के अलावा, पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के भीतर निधियों के पुनर्आवंटन के लिए भी किया जाता है। पुनर्विनियोजन अनुदान के एक ही खंड (राजस्व-दत्त, राजस्व-भारित, पूँजी-दत्त, पूँजी-भारित) या भारित विनियोग के भीतर किसी अन्य इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोग की एक इकाई से बचत का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरण है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: बजट के अवयव



स्रोत: विनियोग लेखे

विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि (i) क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है और (ii) यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के तहत भारित किए जाने की आवश्यकता होती है, तो यह भारित किया जाता है। साथ ही, यह भी पता लगाया जाता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों और विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य, जिसे आगे दत्तमत/भारित घटकों में विभाजित किया गया है, की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.1 में दी गयी है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट		संवितरण		निवल बचत (+)/ आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
(i) राजस्व	79,870.18	7,424.54	61,111.77	6,908.48	18,758.41	516.06
(ii) पूँजीगत	19,080.19	0	14,022.68	0	5,057.51	0
(iii) ऋण एवं अग्रिम तथा अंतर्राज्यीय समायोजन	4,529.28	6,713.53	4,211.14	6,729.45	318.14	-15.92
कुल	1,03,479.65	14,138.07	79,345.59	13,637.93	24,134.06	500.14

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 55 दत्तमत अनुदानों एवं पाँच विनियोगों में ₹ 19,274.47 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत 38 अनुदानों में ₹ 5,375.65 करोड़ के बचत के परिणामस्वरूप कुल बचत ₹ 24,634.20 करोड़ (कुल बजट का 20.94 प्रतिशत) था। राजस्व अनुभाग के अंतर्गत एक विनियोग (14-ब्याज का पुनर्भुगतान) में ₹ 15.92 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

आगे, यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बचत ₹ 24,634.20 करोड़ में से ₹ 16,719.36 करोड़ की बचत 10¹ अनुदानों के अंतर्गत हुई, जिसका कारण समुचित रूप से विनियोग लेखे में नहीं बताए गए। आगे, विगत चार वर्षों के दौरान इन अनुदानों में सतत कुल बचत ₹ 10,231.12 करोड़ से ₹ 14,762.53 करोड़ थी।

यह भी देखा गया कि लगभग सभी बचत मार्च 2023 में अभ्यर्पित की गयी जिससे वित्त विभाग को अन्य जरूरतमंद विभागों को राशि के पुनः आवंटन के लिए कोई समय नहीं बचा, जो बजट प्रबंधन में दक्षता हासिल करने के उद्देश्य को भी विफल करता है।

झारखण्ड सरकार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे के विस्तृत समीक्षा से पता चला कि कुछ मामलों को छोड़कर, योजनाओं/उप-शीर्षों के बजट प्रावधानों के विरुद्ध बचत/आधिक्य का कारण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

¹ 1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) (₹ 1,912.24 करोड़), 18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (₹ 1,300.66 करोड़), 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 1,547.83 करोड़), 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (₹ 1,947.34 करोड़), 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) (₹ 3,462.30 करोड़), 48-शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग) (₹ 1,235.04 करोड़), 55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य संभाग) (₹ 1,347.03 करोड़), 56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज संभाग) (₹ 975.32 करोड़), 59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा संभाग) (₹ 1,246.34 करोड़) एवं 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (₹ 1,745.26 करोड़)

3.1.2 भारत एवं दत्तमत संवितरण

विगत पाँच वर्षों (2018-23) के दौरान भारत एवं दत्तमत में विभाजित कुल संवितरणों को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2018-19 से 2022-23 के दौरान भारत एवं दत्तमत संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत (+)/ आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत
2018-19	57,908.04	8,022.04	18,727.57	1,496.17
2019-20	61,431.27	9,661.98	23,466.38	205.01
2020-21	65,496.72	8,961.87	21,919.51	-100.02
2021-22	68,196.22	10,874.17	22,206.36	309.44
2022-23	79,345.60	13,637.94	24,134.06	500.14

तालिका 3.2 यह दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान दत्तमत अनुभाग के तहत बजट प्रावधानों का पूर्ण रूप से विभागों द्वारा उपयोग नहीं किया गया परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक बचत हुई। यह भी देखा गया कि 2020-21 को छोड़कर विगत पाँच वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान भारत अनुभागों के अंतर्गत भी प्रावधानों के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं किया गया और विभागों द्वारा अभ्यर्पित किया गया।

3.1.3 बजट मार्कमैनिशिप

कुल बजट परिणाम

अनुमोदन से कम और अनुमोदन से अधिक दोनों के संदर्भ में, कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिस हद तक कुल बजट व्यय का परिणाम/वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

तालिका 3.3: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बीई)	वास्तविक परिणाम	वास्तविक एवं मूल अनुमोदित बजट में अंतर*
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व	76,273.30	68,020.25	-8,253.05
पूँजीगत	24,827.70	24,963.27	135.57
कुल	1,01,101.00	92,983.52	-8,117.48

*मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 10.82 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 16 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, दो अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और तीन अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था।

पूँजीगत अनुभाग में, बीई की तुलना में परिणाम में विचलन 0.55 प्रतिशत था। यह 13 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 14 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, आठ अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और पाँच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजी अनुभाग के 20 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय अवयवों का परिणाम

व्यय संरचना परिणाम यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने किस हद तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका 3.4: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय संरचना परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट	पुनरीक्षित (आरई)	वास्तविक परिणाम	बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित में अंतर	वास्तविक एवं पुनरीक्षित में अंतर*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	76,273.30	87,294.72	68,020.25	11,021.42	-19,274.47
पूँजीगत	24,827.70	30,323.00	24,963.27	5,495.31	-5,359.73
कुल	1,01,101.00	1,17,617.72	92,983.52	16,516.72	-24,634.20

*संशोधित अनुमान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और मूल प्रावधान से वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 22.08 प्रतिशत था। यह 38 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 17 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच और पाँच अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत अनुभाग में, पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन (-) 17.68 प्रतिशत था। यह 18 अनुदानों में शून्य और (+/-) 25 प्रतिशत के बीच, 10 अनुदानों में (+/-) 25 प्रतिशत से (+/-) 50 प्रतिशत के बीच, नौ अनुदानों में (+/-) 50 प्रतिशत से (+/-) 100 प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजी अनुभाग के 21 अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

3.2 विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक

वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को अलग-अलग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के भारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग की जानकारी, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकरण के अनुसार किया गया है तथा संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किए जाने वाले व्यय को भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधिसंगत, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.2.1 बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य के समेकित निधि से राशि की निकासी नहीं होगी। पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोग या राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी नई योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 115(1)(अ) और 205(1)(अ) के तहत, नई सेवा का अर्थ एक नए नीतिगत निर्णय से होने वाला व्यय है जो एक नई गतिविधि या नये निवेश सहित पूर्व में संसद/राज्य विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

'सेवा का नया साधन' का अर्थ है किसी मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत बड़ा व्यय। राज्य के खातों में कोई नई सेवा या सेवा का नया साधन नहीं देखा गया, जिसे पहले राज्य विधानसभा के ध्यान में नहीं लाया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह उद्घटित होता है कि एक विनियोग के अंतर्गत तीन मामलों में व्यय बजट प्रावधान के बिना किया गया। वर्ष के दौरान बिना प्रावधान का कुल व्यय ₹ 1,300.00 करोड़ था। विस्तृत विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/ उप-शीर्षों की संख्या
14-ऋण की पुर्नअदायगी	1,300.00	3
कुल	1,300.00	3

जैसा कि तालिका 3.5 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान के बिना ऋणों के पुनर्भुगतान पर बहुत अधिक व्यय किया गया था। ऋणों की अदायगी पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय थे और राज्य से अपेक्षा थी कि वे आकलन तैयार करने के समय वे ऐसे दायित्वों से भली-भाँति अवगत होंगे। हालाँकि, राज्य द्वारा इन व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किये गये थे।

3.2.2 मुख्य शीर्ष-8443 के अंतर्गत लघुशीर्ष-800 में शेष राशि

वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि प्रत्येक वर्ष मुख्य शीर्ष-8443 के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 में एक बड़ी राशि शेष रह जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, इस शीर्ष के अंतर्गत जमा राशि बढ़कर ₹ 74.01 करोड़ हो गई तथा इस शीर्ष से संवितरण ₹ 81.79 करोड़ रहा, जिससे वर्ष के अंत में ₹ 257.58 करोड़ शेष रह गया। इस शीर्ष में जमा की गई राशि मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए आवंटित राशि से संबंधित थी।

महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श के बाद झारखण्ड सरकार के आदेश से, (दिसंबर 2019) में 24 जिला कोषागारों में पीडी खाते मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा के लघु शीर्ष 106- व्यक्तिगत जमा खाते, जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (जि.भू.अधि.अ.) के नाम पर खोले गए थे और जि.भू.अधि.अ. द्वारा लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पहले बुक की गई राशि को उन पीडी खातों में स्थानांतरित करना आवश्यक था। हालाँकि, राशि पूरी तरह से पीडी खातों में स्थानांतरित नहीं की गई थी, जिसके कारण मार्च 2023 तक लघु शीर्ष 800 के तहत ₹ 257.58 करोड़ का शेष था।

3.2.3 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

झारखण्ड बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 117 के अनुसार व्यय के नए विशिष्ट मदों को अथवा दत्तमत अनुदानों में संभावित अधिकता को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के नियम 57 की टिप्पणियों के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यय की जाने वाली राशि से अधिक का प्रावधान नहीं है।

जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है, ₹ 16,517 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से वर्ष के दौरान 43 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़

या उससे अधिक) में प्राप्त ₹ 6,221.83 करोड़ (37.67 प्रतिशत) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि अधिकांश मामलों में मूल प्रावधानों के स्तर तक भी व्यय नहीं हुआ था।

3.2.4 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

‘पुनर्विनियोजन’- का अर्थ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोग की एक इकाई से उसी अनुदान या भारित विनियोग के दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत का अंतरण है।

अनुदान पंजिकाओं, अभ्यर्पण आदेशों, पुनर्विनियोजन आदेशों इत्यदि के सत्यापन के दौरान देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कई योजनाओं में, अविवेकपूर्ण तरीके से आठ उप-शीर्षों के अंतर्गत (परिशिष्ट 3.2) अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई, जो अत्यधिक साबित हुई। इन योजनाओं/उप-शीर्षों के अधीन, बचत के बावजूद, ₹ 17.81 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोजन द्वारा प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.84 करोड़ की बचत हुई।

3.2.5 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोजन तथा/या वृहत बचत/ अभ्यर्पण

बढ़ा हुआ/ अवास्तविक प्रस्तावों एवं खराब निगरानी तंत्र पर आधारित बजटीय आवंटन, बजट प्रावधानों के वृहत बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।

3.2.5.1 ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत

कुल बचत ₹ 24,634 करोड़ में से ₹ 22,909.40 करोड़ (93.00 प्रतिशत) की बचत 27 अनुदानों² में हुई, प्रत्येक अनुदान में ₹ 100 करोड़ से अधिक (परिशिष्ट 3.3) बचत हुई। इतनी बड़ी राशि के बचत का कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया नहीं गया।

आगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 12 अनुदानों तथा पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत दो अनुदानों में बचत ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक था। विभागों द्वारा ऐसी बचत के कारण नहीं बताए गये थे। औचित्य के बिना भारी बचत जो अवास्तविक बजट प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/विभागों में कमजोर आंतरिक नियंत्रण का सूचक था। विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए हैं।

विगत पाँच वर्षों के दौरान सात अनुदानों में 30 प्रतिशत से अधिक की बचत को **तालिका 3.6** में दिया गया है।

² इनमें से, 23 अनुदान राजस्व से (₹ 18,420.23 करोड़), 9 पूँजीगत से (₹ 4,489.17 करोड़) और 5 दोनों से संबंधित हैं

तालिका 3.6: बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत या अधिक अनुपयोगी अनुदान/ विनियोजन

क्र. सं.	अनुदान	(प्रतिशत में)					वर्षों की संख्या*	बजट 2022-23 (₹ करोड़ में)
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23		
राजस्व								
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	53	39	65	23	61	4	3,097.25
2	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	32	50	57	48	31	5	775.87
3	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	25	65	65	73	49	4	584.68
4	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	33	36	30	32	44	5	7,761.39
5	51- अनु.जा., अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	35	30	46	35	25	4	3,281.85
6	54- कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	55	76	47	46	27	4	126.91
पूँजीगत								
1	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	87	87	58	30	41	5	65.38
2	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	100	98	89	83	64	5	118.36


*30 प्रतिशत या अधिक की बचत वाले वर्षों की संख्या

ये अनुदान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित थे और व्यय विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना था। इसके बावजूद सरकार वर्ष-दर-वर्ष प्रावधानों का उपयोग करने में असमर्थ रही और राज्य के लक्षित लाभुकों को परिकल्पित लाभों से वंचित होना पड़ा। जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, विगत पाँच वर्षों के दौरान अनुदान संख्या 60 के तहत बचत 64 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच थी, क्योंकि पुनर्वास केंद्रों, कामकाजी महिला छात्रावासों, आँगनवाड़ी केंद्रों आदि के निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की गई धनराशि को बिना कोई कारण बताए वापस कर दिया गया था।


3.2.6 मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधि का अभ्यर्पण

राज्य के विनियोग लेखों के सत्यापन से यह उद्घटित हुआ कि ₹ 24,634.20 करोड़ के कुल बचत में से, ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक बचत वाले ₹ 15,578.22 करोड़ (63 प्रतिशत) की राशि मार्च 2023 के अंत में अभ्यर्पित की गई, इससे सरकार इस राशि को अन्य विकासात्मक योजनाओं पर उपयोग करने से वंचित रह गई, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है।

चार्ट 3.2: कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता की समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का संवितरण



चार्ट 3.3: 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट उपयोगिता



जैसा कि चार्ट 3.2 में परिलक्षित है, वर्तमान वर्ष में 31 अनुदानों में बचत 11 से 30 प्रतिशत के बीच था जबकि 16 अनुदानों में बचत 30 प्रतिशत से अधिक था। अनुदान संख्या 1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) में बजट का अधिकतम 53 प्रतिशत बचत हुई। आगे, चार्ट 3.3 पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजट आवंटन और उसके उपयोग प्रतिशत को दर्शाता है।

3.2.7 आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर खर्च की गई कोई धनराशि उस सेवा पर दी गई राशि से अधिक हो तो राज्यपाल को ऐसे आधिक्य हेतु मांग को राज्य के विधान सभा में प्रस्तुत करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानसभा द्वारा आधिक्य अनुदान/विनियोग को विनियमित किया जाये।

अनुदान से अधिक संवितरण को नियमित करने में विफलता संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करती है।

3.2.7.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित आधिक्य व्यय

वर्ष के प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी मंजूरी की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि खराब योजना का भी संकेत है, जिसे इस उद्देश्य के लिए किए गए बजट प्रावधान के साथ व्यय प्रगति पर नज़र रखकर टाला जा सकता है।

जैसा कि विनियोग लेखे में देखा गया, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक विनियोग (14-ऋण का पुनर्भुगतान) में ₹ 15.92 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया।

3.2.7.2 विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का विनियमन

विस्तारित अवधि के लिए अनियमित रहने वाला अतिरिक्त व्यय कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है। वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2021-22 से संबंधित 11 अनुदानों से संबंधित अनुदान/विनियोग राशि ₹ 3,762.49 करोड़ पर अतिरिक्त संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में बताया गया है।

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2021-22 के दौरान तीन अनुदान/विनियोग, 13-ब्याज भुगतान, 14-ऋण पुनर्भुगतान और 15-पेंशन क्रमशः ₹ 889.27 करोड़ (23.64 प्रतिशत), ₹ 967.57 करोड़ (25.72 प्रतिशत) और ₹ 1,731.55 करोड़ (46.02 प्रतिशत) का कुल अतिरिक्त व्यय, जिसे अभी तक नियमित किया जाना है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार प्रतिवेदित किये जाने के बाद भी पिछले वर्षों के अधिक व्यय को नियमित नहीं किया गया है।

3.2.8 पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान

सहायता अनुदान वह भुगतान है जो एक सरकार द्वारा किसी अन्य सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को सहायता, दान या अंशदान के रूप में दी जाती है। सहायता अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन सहित किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य हेतु सहायता देने के लिए दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के निकायों और प्राधिकरणों को पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए ₹ 6,051.88 करोड़ अनुदान के रूप में दिए गए। यद्यपि, इस तरह के अनुदान का ₹ 2,102.76 करोड़ राज्य के खातों में पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था, जो सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण से संबंधित भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस)-2 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 बजट प्रक्षेपण तथा प्राक्कलन एवं वास्तविकता के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियाँ तथा लोक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन बनाए रखता है। यथार्थवादी प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, एक अच्छा व्यय निगरानी तंत्र, सुदृढ़ योजना कार्यान्वयन क्षमता/ आंतरिक नियंत्रण, विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं पर निधि का इष्टतम उपयोग करते हैं।

तालिका 3.7: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	व्यय	निवल बचत	मार्च के दौरान अभ्यर्पण	
दत्तमत	राजस्व	68,884.97	10,985.20	79,870.18	61,111.77	18,758.41	सभी अभ्यर्पण मार्च माह में की गई थी।	
	पूँजीगत	16,606.49	2,473.71	19,080.19	14,022.68	5,057.51		
	ऋण एवं अग्रिम	1,507.68	3,021.60	4,529.28	4,211.14	318.14		
	कुल	86,999.14	16,480.51	1,03,479.65	79,345.59	24,134.06		
भारित	राजस्व	7,388.33	36.21	7,424.54	6,908.48	516.06		
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	लोक ऋण- पुनर्भूगतान	6,713.53	0.00	6,713.53	6,729.45	-15.92		
	कुल	14,101.86	36.21	14,138.07	13,637.93	500.14		
सकल योग		1,01,101.00	16,516.72	1,17,617.72	92,983.52	24,634.20		

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 3.7 से पता चलता है कि ₹ 1,17,617.72 करोड़ के कुल प्रावधान में से, ₹ 92,983.52 करोड़ की राशि राज्य विभागों द्वारा खर्च की गई और ₹ 24,634.20 करोड़ (20.94 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अप्रयुक्त रह गए। अप्रयुक्त राशि को मार्च माह में अभ्यर्पित कर दिया गया।

तालिका 3.8: 2018-23 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	80,200.00	85,429.00	86,370.00	91,277.00	1,01,101.00
अनुपूरक बजट	5,953.81	9,335.64	9,908.07	10,309.19	16,516.72
कुल बजट	86,153.81	94,764.64	96,278.07	1,01,586.19	1,17,617.72
पुनरीक्षित अनुमान	86,153.81	94,764.64	96,278.07	1,01,586.19	1,17,617.72
वास्तविक व्यय	65,930.08	71,093.25	74,458.59	79,070.38	92,983.52
बचत	20,223.74	23,671.39	21,819.49	22,515.81	24,634.20
मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता	7.42	10.93	11.47	11.29	16.34
कुल प्रावधान से कुल बचत की प्रतिशतता	23.47	24.98	22.66	22.16	20.94
कुल बजट - पुनरीक्षित अनुमान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय	20,223.73	23,671.39	21,819.48	22,515.81	24,634.20

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(कुल बजट - पुनरीक्षित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(पुनरीक्षित अनुमान - वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	23.47	24.98	22.66	22.16	20.94

तालिका 3.8 से देखा जा सकता है कि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 16,516.72 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11.29 प्रतिशत के विरुद्ध मूल प्रावधान का 16.34 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल प्रावधान से कुल बचत के प्रतिशत का उतार-चढ़ाव 20.94 प्रतिशत और 24.98 प्रतिशत के बीच रहा।

आगे, जैसा कि तालिका 3.8 से स्पष्ट है, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान के एक वृहत हिस्से का उपयोग नहीं किया गया एवं राज्य के विभागीय अधिकारियों द्वारा अभ्यर्पित किया गया। इन बचतों के लिए कोई उपयुक्त कारण भी दर्ज नहीं किये गए थे। ये बचत राज्य के अनुपूरक प्रावधानों से अधिक थी, जो अवास्तविक प्रस्तावों के आधार पर, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/ कमजोर आंतरिक नियंत्रण आदि के आधार पर बजटीय आवंटन के संकेत हैं।

3.3.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी कभी, अनुपूरक प्रावधान बनाते समय, विभाग विभिन्न योजनाओं/ गतिविधियों के तहत भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए वृहत अतिरिक्त माँग को विधानमंडल को सूचित करती है; लेकिन, वे मूल बजट प्रावधान का भी व्यय करने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण वृहत बचत होती है। वहीं, कुछ योजनाएँ निधि के अभाव में अधूरी रह जाती हैं। आगे, पूर्ण होने में विलम्ब से परियोजना लागत में वृद्धि होती है। बचत के बावजूद अनावश्यक/ अत्यधिक अनुपूरक प्रावधानों के मामले तालिका 3.9 में दिए गए हैं।

तालिका 3.9: बचत के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	व्यय	अप्रयुक्त निधि
राजस्व						
1	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,468.72	292.67	7,761.39	4,360.55	3,400.83
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,653.22	444.03	3,097.25	1,198.93	1,898.32
3	20-स्वास्थ्य, चिकित्सीय शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5,159.66	972.62	6,132.28	4,674.15	1,458.12
4	18-खाद्य, लोक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,490.08	237.32	2,727.40	1,448.06	1,279.34

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	व्यय	अप्रयुक्त निधि
5	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,450.05	387.36	8,837.41	7,592.79	1,244.62
6	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,076.11	884.52	2,960.63	1,969.22	991.41
7	56-पंचायती राज विभाग	2,009.47	727.50	2,736.97	1,764.90	972.07
8	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,508.83	261.61	1,770.44	854.87	915.57
पूँजीगत						
9	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3,472.04	31.01	3,503.05	1,840.08	1,662.96
10	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2,449.90	322.80	2,772.70	1,611.18	1,161.52
कुल		37,738.08	4561.44	42,299.52	27,314.73	14,984.76

कुछ प्रमुख योजनाओं को आवंटित निधियों की अनुपयोगिता

राज्य के विनियोग खातों की समीक्षा से पता चला कि कई योजनाओं के लिए आवंटित निधि में से लगातार बड़ी बचत हो रही थी। पिछले तीन वर्षों में लगातार बड़ी बचत के कारण योजनाएँ पूरी नहीं हो सकी और अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इनमें से कुछ योजनाएँ तालिका 3.10 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.10: कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत वर्ष-वार बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2020-21		2021-22		2022-23	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग							
1	4215-01-102-02-ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना	207.57	66.52	205.02	57.27	102.53	28.98
42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)							
2	2501-06-101-05-सामान्य के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी.ए.एस.सी.)	300.00	107.71	300.00	100.77	195.04	78.80
3	2501-06-796-05-सामान्य के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी.ए.एस.सी.)	126.00	25.20	126.00	31.91	81.92	22.33

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के तहत योजनाओं में भारी बचत हुई, जो न केवल बजट प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मुद्दा उठाती है बल्कि राज्य की योजनाओं के तहत लाभुकों को लाभ से वंचित भी की।

3.3.3 कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट एवं उनकी वास्तविक धनराशि में प्रमुख नीतिगत घिसनाएँ

सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत पहल तथा बजट में सम्मिलित योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया, जिससे लाभुक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए। तथापि, विभागों द्वारा प्रावधानों का उपयोग न किये जाने के कारण नहीं बताये गये। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित कर देती है जिनका वो उपयोग कर सकते थे। 313 मामलों में 100 प्रतिशत प्रावधान (एक करोड़ और उससे अधिक के प्रत्येक मामले) वाले ₹ 6,950.13 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू नहीं किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है।


3.4 व्यय का वेग

झारखण्ड बजट नियमावली का नियम 113 बताता है कि वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में व्यय का वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। व्यय का एक समान प्रवाह बनाये रखना अच्छे लोक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह किसी विशेष महीने में अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले किसी विशेष महीने के दौरान राजस्व व्यय के बेमेल होने के कारण राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है।

यह देखा गया कि मार्च 2023 में मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ए.सी विपत्र पर ₹ 268.89 करोड़ की निकासी की गई जिसमें ₹ 137.58 करोड़ की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल व्यय (₹ 92,984 करोड़) में से ₹ 22,350 करोड़ जो 24.04 प्रतिशत था, मार्च 2023 में व्यय किया गया। मार्च में उच्च व्यय प्रतिशतता से स्पष्ट है कि व्यय का एक समान प्रवाह, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता थी, का निर्वहन नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में व्यय का वेग वित्तीय नियमावली के विरुद्ध है और लोक धन के दुरुपयोग एवं खराब प्रचलन के जोखिम को बतलाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान माहवार प्राप्तियाँ एवं व्यय को **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय



आगे, यह देखा गया कि 40 प्रमुख शीर्षों के तहत, 50 प्रतिशत और उससे अधिक का व्यय, ₹ 10,701.95 करोड़ (69.48 प्रतिशत) की राशि, वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था, जबकि इन शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 15,402.94 करोड़ था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में बताया गया है। इसमें से ₹ 7,017.24 करोड़ (इन मदों के तहत कुल व्यय का 45.56 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2023 में किया गया था।

3.5 अनुदान संख्या 01-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.5.1 परिचय

झारखण्ड की 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का मुख्य आधार कृषि है। झारखण्ड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता प्रकृति पर निर्भरता, कम निवेश, कम उत्पादकता, धान (प्रमुख फसल) के साथ एकल फसल, छोटी और सीमांत जोत के साथ अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ हैं। कृषि वर्षा पर निर्भरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 92 प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर है। राज्य कृषि योग्य भूमि संसाधनों में बागवानी और वन उत्पादों के अधिक उत्पादन की अच्छी संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि प्रभाग को ₹ 3,582.35 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹ 1,670.11 करोड़ (47 प्रतिशत) का उपयोग किया गया, जिससे ₹ 1,912.24 करोड़ (53 प्रतिशत) की बचत हुई। इसके अलावा, ₹ 1,912.24 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 1,644.32 करोड़ विभाग द्वारा अभ्यर्पित किया गया और ₹ 267.92 करोड़ को वर्ष के दौरान व्यपगत होने दिया गया। बजट और इसकी उपयोगिता का विवरण **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	477.00	2,653.22	3,130.22
अनुपूरक अनुदान	8.10	444.03	452.13
कुल अनुदान	485.10	3,097.25	3,582.35
व्यय	471.18	1,198.93	1,670.11
बचत	13.92	1,898.32	1,912.24
अभ्यर्पण	0.00	1,644.32	1,644.32
व्यपगत	13.92	254.00	267.92

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वित्तीय वर्ष 2022-23

3.5.2 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

कृषि, पशुपालन और सहाकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) का विभागीय सचिवालय, तीन³ निदेशालयों तथा 19 इकाईओं⁴ को बजटीय प्रक्रिया के लेखापरीक्षा के लिए आठ⁵ जिलों में चयनित किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.5.3 सतत बचत

विगत चार वर्षों (2019-23) के दौरान विभाग के बजट तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा से पाया गया कि उन वर्षों में विभाग के पास सतत बचत था और बजट प्राक्कलन की तुलना में बचत का प्रतिशत सभी वर्षों में बहुत अधिक था, जैसा कि तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12: वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत)
2019-20	राजस्व	3,230.59	143.18	3,373.77	2,062.07	1,311.70	39
	पूँजीगत	114.60	0.00	114.60	61.76	52.84	
	कुल	3,345.19	143.18	3,488.37	2,123.83	1,364.54	
2020-21	राजस्व	3,042.81	157.65	3,200.46	1,131.00	2,069.46	65
	पूँजीगत	5.00	0.00	5.00	2.28	2.72	
	कुल	3,047.81	157.65	3,205.46	1,133.28	2,072.18	
2021-22	राजस्व	2,970.84	335.71	3,306.55	2,530.48	776.07	22
	पूँजीगत	218.25	0.96	219.21	204.28	14.93	
	कुल	3,189.09	336.67	3,525.76	2,734.76	791.00	
2022-23	राजस्व	2,653.22	444.03	3,097.25	1,198.93	1,898.32	53
	पूँजीगत	477.00	8.10	485.10	471.18	13.92	
	कुल	3,130.22	452.13	3,582.35	1,670.11	1,912.24	

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-23

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान विभाग के पास 22 और 65 प्रतिशत के बीच सतत बचत थी, जो न केवल निधि के उपयोग करने में विभाग की अक्षमता का सूचक था, बल्कि विधायिका द्वारा अनुमोदित राज्य योजनाओं के पूरा नहीं होने का भी परिणाम था।

³ (i) कृषि (ii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा (iii) भू-संरक्षण निदेशालय

⁴ जिला कृषि पदाधिकारी (i) देवघर (ii) धनबाद (iii) दुमका (iv) गोड्डा (v) पलामू (vi) राँची (vii) साहिबगंज (viii) उप-प्रमंडल कृषि पदाधिकारी, चतरा; जिला उद्यान पदाधिकारी (i) देवघर (ii) धनबाद (iii) दुमका (iv) गोड्डा (v) पलामू (vi) राँची (vii) साहिबगंज; जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी (i) देवघर, (ii) पलामू, (iii) राँची और (iv) जिला मृदा केमिस्ट, दुमका

⁵ (i) चतरा (ii) देवघर (iii) धनबाद (iv) दुमका (v) गोड्डा (vi) पलामू (vii) राँची (viii) साहिबगंज

3.5.4 बजट अनुमानों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड बजट नियमावली के नियम 62 राज्य के लिए समय पर और सही तरीके से बजट तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर प्रदान करता है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने स्थापना व्यय एवं सामान्य बजट का अनुमान/प्राक्कलन प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को झारखण्ड सरकार ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के पश्चात बजट नियमावली के निर्धारित तिथि 01 अक्टूबर के विरुद्ध क्रमशः 15 दिसम्बर 2021 एवं 30 दिसम्बर 2021 संशोधित (नवम्बर 2021) किया।

कृषि निदेशालय तथा भू-संरक्षण निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थापना व्यय का बजट प्राक्कलन क्रमशः 26 अक्टूबर 2021 एवं 25 नवम्बर 2021 तक प्रस्तुत किया जाना था।

यह पाया गया है कि स्थापना व्यय के लिए बजट अनुमान (ब. अनु.) समय पर प्रस्तुत (15 दिसम्बर 2021) किया गया, जबकि, सामान्य बजट के लिए बजट अनुमान 47 दिनों की देरी से 12 फरवरी 2022 को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया था।

जिला/डीडीओ के नमूना-जाँच में यह पाया गया कि स्थापना व्यय के लिए पाँच डीडीओ द्वारा बजट प्राक्कलन विभाग को निर्धारित तिथि के विरुद्ध चार से 30 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया तथा पाँच डीडीओ के द्वारा स्थापना व्यय हेतु बजट प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण तालिका 3.13 में दिया गया है।

तालिका 3.13: क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बजट प्राक्कलनों का विलम्ब/गैर-प्रस्तुतिकरण

क्र. सं.	कार्यालय/ डीडीओ के नाम	जमा करने की तिथि	डीडीओ द्वारा जमा करने की तिथि	विलम्ब (दिनों में)
1	जिला कृषि पदाधिकारी, राँची	26.10.2021 (कृषि निदेशालय के पत्र संख्या 3976, दिनांक 22.10.2021)	प्रस्तुत नहीं किया गया	
2	जिला कृषि पदाधिकारी, डाल्टेनगंज		25.11.2021	30
3	जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद		13.11.2021	18
4	जिला कृषि पदाधिकारी, साहिबगंज		प्रस्तुत नहीं किया गया	
5	जिला कृषि पदाधिकारी, गोड्डा		01.12.2021	26
6	जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर		प्रस्तुत नहीं किया गया	
7	जिला कृषि पदाधिकारी, दुमका		प्रस्तुत नहीं किया गया	
8	उप-प्रमंडल कृषि पदाधिकारी, चतरा		16.11.2021	21
9	जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी, देवघर	25.11.2021	29.11.2021	04
10	सहायक मृदा केमिस्ट, दुमका	(भू-संरक्षण निदेशालय के पत्र संख्या 462 दिनांक 18.11.2021)	प्रस्तुत नहीं किया गया	

3.5.5 आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना

झारखण्ड बजट नियमावली (ब. नि.) के नियम 65 के अनुसार, नियंत्रि अधिकारी (नि. अ.) को संवितरण अधिकारियों (सं. अ.) से प्राप्त बजट का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि वह सही है, सभी विस्तृत ब्यौरे/ स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं दिये गए विस्तृत स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ब. नि. के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और सामान्य बजट (राज्य, केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं) के लिए बजट अनुमान डीडीओ से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त/ आकलन किये बिना निदेशालय स्तर पर तैयार किये गये थे, जो कार्य को अन्ततः निष्पादित करने और निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे, उद्यान निदेशालय के द्वारा स्थापना व्यय तथा सामान्य बजट, क्षेत्रीय कार्यालयों/ डीडीओ से प्राप्त नहीं किये गये थे। इस प्रकार, डीडीओ से आवश्यकता प्राप्त किये बिना बजट अनुमान तैयार करना वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 3,582.35 करोड़ में से ₹ 1,912.24 करोड़ (53 प्रतिशत) की भारी बचत का एक कारण हो सकता है।

3.5.6 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

बजट नियमावली के नियम 57 में दिए गए टिप्पणियों के अनुसार, अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च किये जाने से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 155 योजनाओं में से 24 योजनाओं पर ₹ 296.22 करोड़ के वास्तविक प्रावधानों में से केवल ₹ 184.80 करोड़ उपयोग किए गए, जिससे ₹ 111.42 करोड़ की बचत हुई। वास्तविक प्रावधानों के उपयोग न होने के बावजूद, बजट नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध अनुपूरक बजट के माध्यम से उन योजनाओं के लिए ₹ 204.83 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान की गई। विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।

आगे, दो योजनाओं हेतु ₹ 22.50 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रदान किया गया था, जो बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था, जैसा कि तालिका 3.14 में दिखाया गया है।

तालिका 3.14: परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	वास्तविक	वास्तविक प्रावधान में से व्यय	अनुपूरक	अनुपूरक प्रावधान में से व्यय
1	2401-00-102-बी.वी.	7.50	7.50	7.50	0.00
2	2401-00-796-बी.वी.	15.00	15.00	15.00	0.00
कुल		22.50	22.50	22.50	0.00

3.5.7 सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 57 में दिए गए टिप्पणी के अनुसार, आकलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जितना खर्च किया जा सकता है, उससे अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

अभिलेखों की जाँच से यह पता चला कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 28 उप-शीर्षों के तहत, विभाग द्वारा भेजे गए आकलन के आधार पर ₹ 738.69 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया था। लेकिन, पूरी राशि विभाग के द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया तथा सम्पूर्ण राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में दर्शाया गया है।

नमूना-जाँच किए गए पाँच जिलों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह भी पता चला कि उन जिलों को प्रदान की गई ₹ 10.58 करोड़ की पूरी राशि का उपयोग नहीं किया गया और अभ्यर्पण किया गया, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिया गया है।

3.5.8 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में निधि का अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को जैसे ही उनका अनुमान लगाया जाता है उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। भविष्य की संभावित अधिकता के लिए कोई बचत रक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। आगे, नियम 135 के अनुसार, जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वयं प्रकट होती है, नियंत्री अधिकारी को सावधानीपूर्वक राशि का आकलन करना चाहिए, जिसे वह अभ्यर्पण कर सकता है।

विभाग के अभिलेखों के लेखापरीक्षा से यह पता चला कि ₹ 3,582.35 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 485.10 करोड़ तथा राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 3,097.25 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,644.32 करोड़ (राजस्व शीर्ष के तहत) विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किया गया।

आगे, नमूना-जाँच किए गए जिलों के अभिलेखों की समीक्षा में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 14.72 करोड़ (कुल प्रावधानों का 81 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.12** में दर्शाया गया है। व्यय की प्रत्याशा और निधि का विलम्ब से आवंटन इत्यादि निधि के अभ्यर्पण के कारण थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण, सरकार के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर इसके उपयोग के लिए कोई गुंजाईश नहीं छोड़ता है, जो निधि की कमी के कारण अधूरी रह गई थी।

3.5.9 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के प्रावधान के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, व्यय के वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, विशेष रूप से अंतिम महीने में व्यय के वेग से बचना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कुल व्यय ₹ 1,670.11 करोड़ में से, ₹ 991.06 करोड़ (59 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2023 में किया गया। जाँच से आगे पता चला कि, 155 उप-शीर्षों में से 44 में, मार्च माह में वर्ष के दौरान कुल व्यय का 36 से 100 प्रतिशत (₹ 924.86 करोड़) के बीच रहा। आगे, जिलों/ डीडीओ के नमूना-जाँच में पाया गया कि मार्च माह में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय 23 से 100 प्रतिशत (₹ 287.22 करोड़) के बीच रहा, जैसा कि **परिशिष्ट 3.13** में दर्शाया गया है।

3.5.10 विभागीय व्यय आँकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 में यह अपेक्षित है कि नियंत्री अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधन करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सात शीर्षों में से दो (2401 और 4401) के तहत ₹ 938.98 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 12.17 करोड़ की राशि का विभाग के नियंत्री अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) की बहियों से समाशोधित नहीं किया गया था, जैसा कि **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: विभागीय व्यय के असमाशोधन का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोग लेखे के अनुसार)	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	2401	927.18	926.81	0.37
2	4401	11.80	0.00	11.80
कुल		938.98	926.81	12.17

आगे, नमूना-जाँचित डीडीओ में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 615.55 लाख के कुल व्यय को समाशोधित नहीं किया गया, जैसा कि **तालिका 3.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: विभागीय व्यय का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिले का नाम	कार्यालयों/ प्रभागों का नाम	मद	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	राँची	उप-निदेशक, कृषि निदेशालय का कार्यालय	स्थापना	3.64	0.00	3.64
			योजना	578.15	0.00	578.15
		जिला कृषि पदाधिकारी	स्थापना	1.28	0.00	1.28
			योजना	4.39	0.00	4.39
		जिला उद्यान पदाधिकारी	स्थापना	0.90	0.00	0.90
			योजना	2.36	0.00	2.36
		जिला भू-संरक्षण पदाधिकारी	स्थापना	0.68	0.00	0.68
2	पलामू	जिला कृषि पदाधिकारी	स्थापना	0.50	0.00	0.50
			योजना	2.84	0.00	2.84
3	साहिबगंज	जिला कृषि पदाधिकारी	स्थापना	0.81	0.00	0.81
			योजना	2.29	0.00	2.29
4	गोड्डा	जिला कृषि पदाधिकारी	स्थापना	0.84	0.00	0.84
			योजना	3.43	0.00	3.43
		जिला उद्यान पदाधिकारी	स्थापना	0.47	0.00	0.47
			योजना	2.50	0.00	2.50
5	दुमका	जिला कृषि पदाधिकारी	स्थापना	0.73	0.00	0.73
			योजना	3.05	0.00	3.05
		जिला उद्यान पदाधिकारी	स्थापना	0.33	0.00	0.33
			योजना	1.72	0.00	1.72
		सहायक मृदा केमिस्ट	स्थापना	0.14	0.00	0.14
			योजना	0.05	0.00	0.05
6	चतरा	उप-प्रमंडल कृषि पदाधिकारी	स्थापना	0.68	0.00	0.68
			योजना	3.77	0.00	3.77
कुल				615.55	0.0	615.55

3.5.11 अप्रयुक्त निधि का बैंक खाता में अवरुद्ध रहना - ₹ 45.85 करोड़

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के प्रावधान के अनुसार, माँग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्यपगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई राशि आहरित नहीं किया जायेगा। इसके अलावा, वित्त विभाग द्वारा भी निर्देशित (03.04.2022) किया गया था कि कोषागार से राशि का आहरण करना तथा उसे लम्बे समय तक अप्रयुक्त रखना वित्तीय अनुशासन के विरुद्ध है तथा बैंक खाता में जमा राशि के साथ उसपर अर्जित ब्याज को भी समेकित निधि में जमा करना आवश्यक है।

नमूना-जाँच जिलों/ डीडीओ के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए पिछले वर्ष में कोषागार से ₹ 45.85 करोड़ राशि की निकासी कर बैंक खातों में (31 मार्च 2023 तक) अवरुद्ध रखा गया। कुल अवरुद्ध राशि में से ₹ 1.43 करोड़ जून से सितम्बर 2023 के दौरान कोषागार में जमा किए गए, जैसा कि विवरण परिशिष्ट 3.14 में दिया गया है।

3.5.12 “प्रमोशन ऑफ अरबन फार्मिंग योजना” का क्रियान्वयन न होना

सरकार की स्वीकृति (18.05.2022) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राज्य बागवानी विकास योजनान्तर्गत “प्रमोशन ऑफ अरबन फार्मिंग” के क्रियान्वयन हेतु ₹ दो करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण सुनिश्चित करने तथा भू-मंडलीय उस्मीकरण के विरुद्ध पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक आवासों से सटे भूमि के खाली भूखंडों और सरकारी परिसरों में उपलब्ध स्थान पर पौष्णिक सुरक्षा प्रदान करती है। छत पर बागवानी के तहत विभिन्न सब्जियों, फूलों और फलों की जैविक और गुणात्मक खेती को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव था।

चार जिला उद्यान पदाधिकारियों के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान पाया गया कि स्वीकृति आदेश (मई 2022) जारी होने के लगभग नौ महीने के बाद उप-निदेशक, उद्यान, राँची द्वारा, ₹ 1.12 करोड़ आवंटित (फरवरी 2023) किया गया था। इसमें से, केवल ₹ 0.12 करोड़ का उपयोग किया गया था और शेष ₹ एक करोड़ (89 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया, जैसा कि तालिका 3.17 में दिखाया गया है।

तालिका 3.17: निधि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	आवंटन संख्या/ दिनांक	आवंटित राशि	व्यय	अभ्यर्पण
1	डीएचओ, पलामू	93/01.02.23 162/28.02.23	0.20	0.00	0.20
2	डीएचओ, देवघर		0.20	0.04	0.16
3	डीएचओ, दुमका	162/28.02.23	0.24	0.02	0.22
4	डीएचओ, राँची		0.48	0.06	0.42
कुल			1.12	0.12	1.00 (89%)

जिस योजना के लिए धनराशि आवंटित की गई थी, वह शुरू ही नहीं हुई और लाभुक योजना के अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए।

3.5.13 लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना

नमूना-जाँचित जिलों/डीडीओ की समीक्षा के दौरान देखा गया कि विभाग द्वारा “राज्य बागवानी मिशन” (एनएचएम) के तहत विभिन्न “कार्य घटकों” के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6.57 करोड़ आवंटित किए गए थे। निधि की उपलब्धता के बावजूद, डीडीओ द्वारा भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये तथा विभाग द्वारा लक्षित योजनाओं के अपेक्षित लाभ से लाभुक वंचित रह गए, जैसा कि विवरण परिशिष्ट 3.15 में दिया गया है।

3.5.14 झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना

झारखण्ड सरकार ने सूखे, कोविड-19 आदि जैसे कारणों से बकाया ऋणों के किशतों का भुगतान करने में असमर्थ किसानों के लिए झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना 2020-21 शुरू की थी। झारखण्ड सरकार द्वारा ₹ 50,000 तक के ऋण माफ करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी थी।

जाँच के दौरान देखा गया कि योजना के तहत राज्य में लाभार्थी किसानों (ऋणी) की कुल संख्या 8,03,679 थी, जिसमें से 4,10,208 (51 प्रतिशत) किसानों का ऋण मार्च 2023 तक माफ कर दिया गया था। आगे, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के तहत कुल आवंटन ₹ 915.86 करोड़ में से ₹ 685.08 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया, राँची के खाते में रहने के बावजूद भी 49 प्रतिशत किसान योजना के लाभ से वंचित रह गए।

3.5.15 व्यक्तिगत बही खातों की लेखापरीक्षा

- राशि की अनुपयोगिता एवं व्यक्तिगत बही खातों में अवरुद्ध राशि- ₹ 925.86 करोड़

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, माँग की प्रत्याशा में या बजट प्रावधान के व्ययगत को रोकने के लिए कोषागार से कोई राशि आहरित नहीं की जाएगी।

राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन, प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान (समेति); राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम); आर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ़ झारखण्ड (ओफाज); झारखण्ड कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र (जेएएमटीटीसी) और झारखण्ड कृषि एवं मृदा प्रबंधन संस्थान (जैसमीन) के अभिलेखों की जाँच के दौरान देखा गया कि 31 मार्च 2023 को ₹ 925.86 करोड़ की राशि व्यक्तिगत बही (पीएल) खातों (8448-स्थानीय निधि की जमा) में जमा की गई थी, जैसा कि तालिका 3.18 में दिखाया गया है।

तालिका 3.18: व्यक्तिगत बहीखाता में जमा तथा अनुपयोगी निधि

क्र. सं.	एजेंसी का नाम/ कार्यलय	31.03.23 को जमा राशि (₹ करोड़ में)
1	समेति, राँची	713.95
2	एनएचएम, राँची	104.60
3	ओफाज, राँची	16.02
4.	जेएएमटीटीसी, राँची	81.53
5.	जैसमीन, राँची	9.76
कुल		925.86

आगे, 12 नमूना-जाँच की गई योजनाओं में देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था, जैसा कि तालिका 3.19 में दिखाया गया है।

तालिका 3.19: नमूना-जाँच योजना के तहत निधियों का उपयोग न होना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	01.04.22 को शेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निधि का अंतरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय	31.03.23 को अवशेष
1	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	20.58 (सी) 11.64 (एस)	0.00 0.00	0.00 0.00	20.58 (सी) 11.64 (एस)
2	पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिजर्वेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास	11.00	0.00	0.00	11.00
3	झारखण्ड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाईटी	5.00	0.00	0.00	5.00
4	अरबन फार्मिंग	2.00	0.00	0.00	2.00
5	ग्लोबल एग्रीकल्चर एण्ड फूड समिट	1.76	0.00	0.00	1.76
6	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)	6.64	0.00	0.00	6.64
7	कृषक पाठशाला	0.00	30.00	0.00	30.00
8	एग्री-स्मार्ट विलेज योजना	0.00	10.00	0.00	10.00
9	वर्षा मापक यंत्र का अधिष्ठापन	0.00	47.90	0.00	47.90
10	भू-संरक्षण	0.00	390.60	0.00	390.60
11	कृषि यांत्रिकरण	0.00	18.52	0.00	18.52
12	गोधन न्याय योजना	0.00	1.00	0.00	1.00
	कुल	58.62	498.02	0.00	556.64

• **व्यक्तिगत बही खातों से निकासी की गई राशि का बचत बैंक खातों में जमा**

आर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखण्ड (ओफाज) के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान, यह देखा गया कि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कोषागार में पीएल खाते (आरएनसी/एसीएच/101) से जैविक खेती के प्रमाणीकरण के कार्य घटक/योजना के भुगतान के लिए ₹ 16.50 करोड़ की राशि निकाली गई थी। हालाँकि, इसका उपयोग नहीं किया गया था और ओफाज के बचत बैंक खाते (496610210000384 बैंक ऑफ इंडिया, राँची) में जमा कर दिया गया।

• **व्यक्तिगत बही खातों में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अंतरण**

अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि उद्यान निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम दिन ₹ 21.74 करोड़ की निकासी की गई थी जिसे झारखण्ड के आर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखण्ड (ओफाज) तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के पीएल खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

इसी प्रकार, भू-संरक्षण निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम दिन ₹ 135.52 करोड़ की निकासी की गई जिसे समेति तथा झारखण्ड कृषि मशीनरी

परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र (जेएएमटीटीसी) के पीएल खातों में स्थानांतरित किया गया था, जैसा कि तालिका 3.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.20: राशि की निकासी तथा व्यक्तिगत बही खातों में जमा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विपत्र संख्या	जिसे स्थानांतरित किया गया	स्थानांतरित राशि
उद्यान निदेशालय, झारखण्ड सरकार, राँची			
1	100/22-23	ओफाज	0.60
2	101/22-23	ओफाज	0.30
3	102/22-23	ओफाज	0.10
4	103/22-23	एनएचएम	0.44
5	104/22-23	एनएचएम	8.07
6	105/22-23	एनएचएम	0.20
7	109/22-23	एनएचएम	10.11
8	110/22-23	एनएचएम	1.54
9	111/22-23	एनएचएम	0.38
कुल			21.74
भू-संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड सरकार, राँची			
1	101/22-23	समेति	4.44
2	102/22-23	समेति	11.75
3	103/22-23	समेति	2.34
4	104/22-23	समेति	75.22
5	105/22-23	समेति	25.75
6	106/22-23	समेति	14.67
7	107/22-23	समेति	0.95
8	108/22-23	समेति	0.40
कुल			135.52
सकल योग			157.26

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन संचित निधि से निकासी और इसे व्यक्तिगत बही खातों में स्थानांतरित करना बजट प्रावधानों के विरुद्ध था।

• एकल नोडल खाता से राशि की निकासी तथा बचत बैंक खाता में जमा

आर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखण्ड (ओफाज) के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एसबीआई, राँची (खाता संख्या 40402965556) में एसएनए (परंपरागत कृषि विकास योजना) से भुगतान के लिए नौ करोड़ रुपये की निकासी की गयी थी। हालाँकि, राशि अप्रयुक्त रह गई और बैंक ऑफ इंडिया, राँची में ओफाज के बचत बैंक खाते (खाता संख्या 496610210000383) में जमा कर दिया गया। एसएनए के बाहर धनराशि जमा करना न केवल योजनाओं पर खर्च के लिए सरकार के निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग का जोखिम भी उत्पन्न करता है।

3.5.16 अन्य आपत्तियाँ

विगत वर्ष की तुलना में व्यय में मुख्य परिवर्तन

वित्त और विनियोग खातों पर डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि विभाग (कृषि प्रभाग) में आर्थिक महत्व की योजनाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान काफी कम हो गया था, जैसा कि तालिका 3.21 दिखाया गया है।

तालिका 3.21: व्यय की तुलनात्मक विवरणी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	लघु शीर्ष विवरण	2022-23 में व्यय	2021-22 में व्यय	परिवर्तन (प्रतिशत में)
2401	102	खाद्यान्न फसलें	322.75	500.58	-35.5
	104	कृषि फार्म	9.00	18.30	-50.8
	105	खाद एवं उर्वरक	0.85	4.28	-80.0
	108	वाणिज्यिक फसलें	1.33	55.05	-97.6
	115	लघु/सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमिकों की योजना	0.60	18.26	-96.7
	119	बागवानी एवं सब्जी फसलें	5.78	32.72	-82.3
	789	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	140.36	203.83	-31.1
	796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	284.46	1,242.06	-77.1
2402	102	भू-संरक्षण	11.71	54.71	-78.6
	789	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	0.00	14.89	-100.0
	796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	0.00	89.22	-100.0
2435	102	ग्रेडिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएँ	2.12	4.32	-51.0
	789	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	0.09	0.37	-76.2
	796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	0.54	3.14	-82.7
4402	203	भूमि पुनर्ग्रहण और विकास	0.00	60.61	-100.0
कुल			779.58	2,302.34	-66.1

3.6 अनुदान संख्या 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.6.1 परिचय

पेयजल और स्वच्छता विभाग की पहली प्राथमिकता राज्य में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुँच प्रदान करना है। राज्य की सभी बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि स्रोतों में फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन मौजूद हैं। केवल 30 प्रतिशत बस्तियों में ही पीने के पानी की आंशिक सुविधा है। इस तथ्य के बावजूद कि झारखण्ड की 76 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है, राज्य में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज भी बहुत कम है। राज्य भर में ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आदि जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग का कुल बजट प्रावधान ₹ 4,087.72 करोड़ था, जैसा कि इसके उपयोग के साथ तालिका 3.22 में बताया गया है।

तालिका 3.22: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय तथा बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत्त	राजस्व दत्तमत्त	कुल
मूल अनुदान	3,472.03	582.37	4,054.40
अनुपूरक अनुदान	31.01	2.31	33.32
कुल अनुदान	3,503.04	584.68	4,087.72
व्यय	1,840.08	300.30	2,140.38
बचत	1,662.96	284.38	1,947.34
अभ्यर्पण	1,635.50	234.00	1,869.50

स्रोत: वित्त वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे

3.6.2 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

विभागीय सचिवालय और विभाग की 15 इकाईयों⁶ का बजटीय प्रक्रिया की लेखापरीक्षा के लिए आठ⁷ जिलों में चयन किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.6.3 सतत बचत

विगत चार वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23) के दौरान विभाग के बजट और व्यय की प्रवृत्तियों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि विभाग के पास इस अवधि के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में सतत बचत थी, जैसा कि विवरण तालिका 3.23 में दिया गया है।

तालिका 3.23: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विगत चार वर्षों के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
2019-20	राजस्व	1,789.76	50.30	1,840.06	641.45	1,198.61	54.45
	पूँजीगत	750.00	1.00	751.00	538.73	212.27	
	कुल	2,539.76	51.3	2,591.06	1,180.18	1,410.88	
2020-21	राजस्व	2,376.57	16.54	2,393.11	840.57	1,552.54	58.82
	पूँजीगत	712.48	0.00	712.48	438.30	274.18	
	कुल	3,089.05	16.54	3,105.59	1,278.87	1,826.72	
2021-22	राजस्व	2,625.19	0.49	2,625.68	715.93	1,909.75	63.80

⁶ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल

⁷ (i) राँची (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, राँची पूर्वी तथा राँची प.) (ii) चाईबासा (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा एवं चक्रधरपुर) (iii) सरायकेला- खरसावाँ (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सरायकेला- खरसावाँ एवं आदित्यपुर) (iv) धनबाद (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, धनबाद-I एवं धनबाद-II) (v) गिरिडीह (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गिरिडीह-I एवं गिरिडीह-II) (vi) दुमका (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, दुमका-I, दुमका-II) (vii) देवघर (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, देवघर एवं मधुपुर) (viii) साहिबगंज (पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, साहिबगंज)

वर्ष	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
	पूँजीगत	746.97	0.00	746.97	505.11	241.86	
	कुल	3,372.16	0.49	3,372.65	1,221.04	2,151.61	
2022-23	राजस्व	582.37	2.31	584.68	300.30	284.38	45.73
	पूँजीगत	3,472.03	31.01	3,503.04	1840.08	1,662.96	
	कुल	4,054.40	33.32	4,087.72	2,140.38	1,947.34	

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के विनियोग लेखे

इस अवधि के दौरान, विभाग में बचत 45.73 प्रतिशत से 63.80 प्रतिशत के बीच थी, जो न केवल जिला इकाइयों से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना बजट तैयार करने का संकेत था, बल्कि उपलब्ध निधि का उपयोग करने में विभाग की असमर्थता को भी दर्शाता है। निधि के उपयोग न होने के कारण वर्ष के लिए बजट में शामिल राज्य की योजनाएँ भी पूरी नहीं हो पाईं।

3.6.4 अधूरी योजनाओं में पूँजी का अवरुद्ध होना

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों पर अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्तियों का आकलन पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि अवरुद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और राज्य को लंबे समय तक अपेक्षित लाभ से वंचित रहना पड़ता है। आगे, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि से ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ पड़ता है। विभाग में अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा तालिका 3.24 में दर्शाई गई और परिशिष्ट 3.16 में वर्णित है।

तालिका 3.24: 31 मार्च 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	पुनरीक्षित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	बढ़ी हुई राशी
पेयजल एवं स्वच्छता	15	400.67	265.92	1	3.53

स्रोत : वित्त लेखे

जाँच से पता चला कि सितंबर 2023 तक ₹ 400.67 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध ₹ 265.92 करोड़ 15 अधूरी परियोजनाओं पर खर्च किए गए थे। इसके अलावा, एक प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं होने के कारण ₹ 14.96 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजना के लिए ₹ 3.53 करोड़ की वृद्धि दी गई थी।

3.6.5 एकल नोडल खाता का प्रभाव

अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और लोक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के लिए, भारत सरकार ने निर्णय लिया (जुलाई 2021) कि सभी राज्य सरकारें और भारत सरकार के सभी मंत्रालय प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को लागू करने के लिए एक एकल नोडल खाता (एसएनए) नामित करेंगे। राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में, राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एसएनए खोले जाने थे।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि विभाग द्वारा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए दो अलग-अलग एसएनए क्रमशः बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा, डोरंडा और एचडीएफसी, राँची क्लब कॉम्प्लेक्स शाखा में खोले गए थे।

(i) राज्य द्वारा कम प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), झारखण्ड के लिए केंद्रीय प्रावधान ₹ 300 करोड़ (60 प्रतिशत) था। तदनुसार, राज्य को समतुल्य हिस्सेदारी के रूप में ₹ 200 करोड़ (40 प्रतिशत) का प्रावधान करना था। हालाँकि, राज्य द्वारा केवल ₹ 50 करोड़ प्रदान किए गए, जिसके कारण केंद्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया। राज्य द्वारा कम प्रावधान का विवरण तालिका 3.25 में दिया गया है।

तालिका 3.25: राज्य द्वारा कम प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	शीर्ष	केंद्रीय प्रावधान (60 प्रतिशत)	राज्य का प्रावधान	राज्य हिस्से से सम्बंधित (40 प्रतिशत)	कम राज्य प्रावधान
1	2022-23	टीएसपी	69.00	11.50	46.00	34.50
		ओएसपी	180.00	30.00	120.00	90.00
		एससीएसपी	51.00	8.50	34.00	25.50
		कुल	300.00	50.00	200.00	150.00

(ii) केंद्रीय हिस्से पर ब्याज का हस्तांतरण न होना

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2022-23 के लिए बैंक में जमा किए गए केंद्रीय हिस्से पर ब्याज की न तो गणना की गई थी और न ही इसे विभाग द्वारा भारत की समेकित निधि में जमा किया गया था।

3.6.6 जिला इकाइयों से आवश्यकताएं प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना

बजट नियमावली के नियम 65 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी (नि. अ.) को संवितरण अधिकारियों (सं. अ.) से प्राप्त बजट का परीक्षण, यह देखने के लिए

करना चाहिए कि वे सही हैं, सभी विवरण और स्पष्टीकरण दिए गए हैं और स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था तथा प्रमंडलीय पदाधिकारी, जो अंततः विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने और निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त/आकलन किए बिना सामान्य बजट (राज्य, केंद्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं) के लिए बजट अनुमान विभागीय स्तर पर तैयार किए गए थे। इस प्रकार प्रमंडलीय पदाधिकारी से आवश्यकता प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 4,087.72 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹ 1,947.34 करोड़ (45.73 प्रतिशत) की बड़ी बचत का एक कारण हो सकता है।

3.6.7 सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग न होना

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छः उप-शीर्षों के तहत विभाग द्वारा किए गए ₹ 1,580.50 करोड़ के बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था और सम्पूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था, जैसा कि तालिका 3.26 में दिखाया गया है।

तालिका 3.26: सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
1	2215-02-107-16- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट	0.60	0.60
2	2215-02-789-16- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट	0.17	0.17
3	2215-02-796-16- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट	0.23	0.23
4	4215-01-102-10- विशेष एकीकृत योजना	801.12	801.12
5	4215-01-789-10- विशेष एकीकृत योजना	274.36	274.36
6	4215-01-796-10- अनुसूचित जाति के लिए विशेष एकीकृत योजना	504.02	504.02
कुल		1,580.50	1,580.50

3.6.8 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

यह देखा गया कि ₹ 4,087.72 करोड़ (राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 584.68 करोड़ और पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 3,503.04 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,869.50 करोड़ (राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 234.00 करोड़ और पूँजी शीर्ष के तहत ₹ 1,635.50 करोड़) विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित कर दिया गया था।

3.6.9 व्यय का वेग

नमूना-जाँच किये गये जिलों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय ₹ 1,799.83 करोड़ में से ₹ 573.81 करोड़ (32 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2023 में किया गया था। आगे, नमूना-जाँच किए गए प्रमंडलों/ डीडीओ में, वित्तीय नियमों के उल्लंघन में मार्च महीने में व्यय आठ से 83 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि परिशिष्ट 3.17 में बताया गया है।

3.6.10 विभागीय व्यय के आंकड़ों का समाशोधन नहीं होना

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 2,140.38 करोड़ के कुल व्यय में से, केवल ₹ 2.97 करोड़ के व्यय का मिलान विभाग के नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार की पुस्तकों के साथ किया गया था, जैसा कि तालिका 3.27 में दिखाया गया है।

तालिका 3.27: विभागीय व्यय का असमाशोधन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोग लेखे के अनुसार)	समाशोधित राशि	असमाशोधन राशि
1	2215	300.30	2.97	297.33
2	4215	1,840.08	0.00	1,840.08
कुल		2,140.38	2.97	2,137.41

3.6.11 विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित निधि का उपयोग न होना

विनियोग खातों की समीक्षा से पता चला कि जलापूर्ति कराने और विभिन्न स्वच्छता अभियान चलाने के उद्देश्य से कई योजनाओं में बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की बचत हुई थी, जैसा कि परिशिष्ट 3.18 में बताया गया है।

3.6.12 शौचालय निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उन पात्र लाभार्थियों/परिवारों के लिए 1,52,000 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिनका नाम बेसलाइन सर्वेक्षण के दौरान छूट गया था या फिर शौचालय के लाभ से वंचित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग द्वारा केवल 14,742 शौचालयों का निर्माण किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य का केवल 9.70 प्रतिशत था।

इसी प्रकार, चयनित प्रभागों की नमूना-जाँच से पता चला कि लक्ष्य के सापेक्ष कार्य की प्रगति शून्य प्रतिशत से 79.71 प्रतिशत तक थी, जैसा कि परिशिष्ट 3.19 में दर्शाया गया है।

3.6.13 अनुप्रयुक्त राशि का अभ्यर्पण नहीं होना

जाँच से पता चला कि, पूँजीगत अनुभाग के तहत ₹ 1,662.96 करोड़ की बचत में से ₹ 1,635.50 करोड़ अभ्यर्पित कर दिए गए थे, जबकि शेष राशि ₹ 27.46 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो गई थी। इसी प्रकार, राजस्व अनुभाग के तहत, ₹ 284.38 करोड़ की बचत में से, केवल ₹ 234.00 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे और वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 50.38 करोड़ व्यपगत हो गए थे। प्रत्याशित बचत (₹ 77.84 करोड़) का समय पर समर्पण न करना बजट नियमावली के नियम 112 के विरुद्ध था।

3.6.14 निदेशालय को गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

एसबीएम (जी) के तहत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के गठन के बाद ग्राम स्तर पर विभिन्न स्वच्छता कार्यों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से स्थानीय बैंक में एक बचत खाता खोला गया। विभाग के निर्देश (फरवरी 2023) के अनुसार, कार्य एकल नोडल खाता के माध्यम से निष्पादित किया जाना था और पूर्व में खोले गए वीडब्ल्यूएससी के सभी खातों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाना था।

बंद करने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना था कि कार्यों के लिए हस्तांतरित राशि और उस पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखते हुए वीडब्ल्यूएससी के खातों को अद्यतन किया जाना था। अद्यतनीकरण के बाद, आय को जिला स्तर पर बनाए गए बैंक खातों में स्थानांतरित और जमा किया जाना था और 31 मार्च 2023 से पहले उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वीडब्ल्यूएससी के बैंक खातों को शून्य शेष खातों में बंद करने/परिवर्तन का प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, धनबाद-1 (04.03.2023) और आदित्यपुर (09.03.2023) द्वारा निदेशालय, डीडब्ल्यू एवं एसडी को दिया गया था। हालाँकि, वीडब्ल्यूएससी के बंद/शून्य शेष खातों से जिला कार्यालय में और जिला कार्यालयों के खातों से, बंद किए गए प्रमाणित खातों में धन हस्तांतरित किए जाने के मामले कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत करने की तारीख के बाद भी देखे गए थे।

आगे, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रभाग, धनबाद-1 द्वारा दो⁸ वीडब्ल्यूएससी के बैंक खातों में ₹ 9.88 लाख हस्तांतरित (29.03.23) किए गए थे।

इस प्रकार, कार्यपालक अभियंताओं द्वारा निदेशालय को प्रस्तुत किये गये प्रमाणपत्र गलत एवं भ्रामक थे।

⁸ बाँदा पश्चिम एवं बाँदर चुवी

3.7 निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बचत ₹ 24,634.20 करोड़ में से ₹ 16,719.36 करोड़ की बचत 10 अनुदानों के अंतर्गत हुई है, जिसके कारणों को विनियोग खातों में उचित रूप से नहीं बताया गया है। इसके अलावा, विगत चार वर्षों के दौरान इन अनुदानों में सतत कुल बचत ₹ 10,231.12 करोड़ से ₹ 14,762.53 करोड़ तक रही।

वर्ष के दौरान 43 मामलों (प्रत्येक मामले में 0.50 करोड़ या अधिक) में कुल मिलाकर ₹ 6,221.83 करोड़ (37.67 प्रतिशत) के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए थे, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया था।

वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2021-22 तक 11 अनुदानों से संबंधित अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त संवितरण, ₹ 3,762.49 करोड़ की राशि को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित किया जाना था। आगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक विनियोग (14-ऋणों का पुनर्भुगतान) में ₹ 15.92 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसके कारण विभाग में बजटीय नियंत्रण की कमी हुई, परिणामस्वरूप बड़ी बचत हुई; वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता; खातों का मिलान न होना; और डीसी विपत्र और उ.प्र.प. जमा नहीं किया गया।

3.8 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार बजटीय अनुमानों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित कर सकती है, साथ ही आवंटित धन के अनुपयोग को कम करने के लिए एक कुशल नियंत्रण तंत्र भी स्थापित कर सकती है।
- राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि व्यय विधानमंडल द्वारा अधिकृत राशि से अधिक न हो। पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आवंटित निधि के अनुपयोग की घटनाओं को कम करने और प्रत्याशित बचत की पहचान एवं निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पण सुनिश्चित करने के लिए बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए उचित तंत्र स्थापित कर सकते हैं।